न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 63 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. श्रीमती पूरोदेवी पत्नी भगवानाराम
2. श्रीमती रूपोदेवी पत्नी गोकलाराम

जाति जाट निवासी गुलोणियों की ढाणी तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.गजाराम पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी गुलोणियों की ढाणी तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

2.श्रीमान तहसीलदार, चौहटन

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी वास्ते निर्णय

उपस्थित

1. वकील श्री मेघाराम चौधरी प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. वकील श्री मुकेश जैन रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से
3. श्री हरिराम चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–09.03.2022

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए उसने उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि उक्त प्रकरण में अपीलांटगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 157 रकबा 17.02 बीघा पर अपना हक–हिस्सा व पिछले 30 वर्षों से कब्जा–काश्त होने तथा रहवासीय ढाणी में निवास करने से उक्त भूमि में हित निहित है तथा उक्त आराजी पर अपीलांटगण के हित निहित होने से हितबद्ध पक्षकार संयोजित करने हेतु एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया, लेकिन अपीलांटगण के पक्षकार संयोजित करने के आवेदन को अस्वीकार करते हुए अन्तिम निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त है तथा अपीलांटगण द्वारा घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया जो विचाराधीन है। रेस्पोडेंट को अपनी आराजी तक आने–जाने हेतु मौके पर डामर सड़क उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में रास्ते का अभाव सिद्ध किये बिना नवीन रास्ता नहीं दिया सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सनुवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस / प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने का हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार होने का अधिकारी है इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे। अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2011-12(Supp.) Page 289
RRT 2008(2) Page 1135

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। अपीलांटगण का हस्तगत प्रकरण से किसी प्रकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। अपीलांटगण द्वारा अपील पेश कर रेस्पोडेंट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपील पेश की जा रही है। अपीलाधीन आराजी में अपीलांट का किसी प्रकार का कोई हित निहित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के आवेदन अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सी पी सी के आवेदन को खारिज किया गया इस बाबत अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान में निगरानी नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2004(2) Page 995
CCC 2017(2) Page 488
DNJ 2020(1) Page 167

राजकीय अभिभाषक ने अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं है। अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिसमें सरकार हित नियत है। रेस्पोडेंटस संख्या 01 के पास पहले से मौके पर रास्ता उपलब्ध है उसके बावजूद भी सरकारी भूमि में से रास्ता दिया गया जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलोच्य निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरित जाकर पारित किया गया। अपीलांट का आवेदन स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाया जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं होगी।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन आराजी राजकीय भूमि है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटस का हित किसी प्रकार से निहित है इस बाबत अपीलांट द्वारा संवत 2060

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

से 2077 तक की खसरा परिवर्तनशील की नकले पेश की है। इससे यह साफ स्पष्ट हो रहा है कि अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट अतिक्रमी की हैसियत से काविज होना जाहिर होता है। अपीलाधीन आराजी राजकीय भूमि होने से अपीलांट को अतिक्रमी की हैसियत से न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की गई जो न्यायोचित नहीं है। अपीलांट ने हस्तगत अपील के साथ एक नक्शा पेश कर रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि तक मौके पर डामर सड़क के होने का उल्लेख किया जबकि इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवाई गई मौका रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं आया है तथा प्रस्तावित रास्ते को ही एकमात्र विकल्प माना है। अपीलांटस वादग्रस्त भूमि का न तो खातेदार रूप में हक दर्शाता है और न ही इसका कोई सीधा संबंध ही प्रकट करता है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कोई प्रत्यक्ष हित निहित नहीं है, न ही वह पीड़ित या प्रभावित पक्षकार ही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपीलांटस वादग्रस्त आराजी का हितबद्ध, प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार नहीं ठहरते है। अतः अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

लिहाजा उसको अपील प्रस्तुति की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी खारिज किया जाता है।

चूंकि अपील में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी पी सी का आवेदन खारिज किया जा चुका है इसलिए उसे अपील प्रस्तुत की अनुमति नहीं है। अपील ग्रहण योग्य नहीं है लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर